

अध्याय – 3

वाणिज्यिक कर

अध्याय 3

वाणिज्यिक कर

3.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग (वा.क.वि.) के सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं। वाणिज्यिक कर विभाग, आयुक्त वाणिज्यिक कर (आ.वा.क.) के समग्र नियंत्रण में एक निदेशक एवं अतिरिक्त आयुक्त के सहयोग से कार्य करता है। विभाग को पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र एक अतिरिक्त क्षेत्रीय आयुक्त के अधीन होता है। इन क्षेत्रों में संभागीय उप आयुक्तों (उप.आयु.) के अधीन 16 संभागीय कार्यालय सम्मिलित हैं। इन संभागों में वाणिज्यिक कर अधिकारियों (वा.क.अधि.) / सहायक आयुक्तों (सहा.आयु.) के नियंत्रण में 84 वृत्त कार्यालय एवं 19 क्षेत्रीय सहायक आयुक्त के कार्यालय हैं।

3.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वाणिज्यिक कर विभाग के राजस्व शीर्ष बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर एवं माल और यात्री कर के राजस्व बजट अनुमान के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियों के प्रवृत्ति को तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1

प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियों	अन्तर का प्रतिशत
2012–13	16,150.00	17,251.33	(+)6.82
2013–14	19,140.00	19,228.59	(+)0.46
2014–15	22,400.00	20,822.35	(-)7.04
2015–16	24,500.00	22,890.91	(-)6.57
2016–17	26,200.00	26,366.16	(+)0.63

(चोत: मध्यप्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (म.प्र.वि.उ.क.लि.) ने अप्रैल 2007 से मार्च 2017 तक कोयले के क्रय पर प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया था और प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन था। अन्ततः 25 अगस्त 2015 को दो मंत्रालयों के मध्य आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि म.प्र.वि.उ.क.लि. प्रवेश कर राशि ₹ 875.13 करोड़ का भुगतान करेगा। कम्पनी ने बकाये की राशि में से ₹ 12.90 करोड़ का 2013–14 के दौरान तथा ₹ 590.09 करोड़ का 2016–17 के दौरान भुगतान किया था। विभाग के 2016–17 के बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक प्राप्ति में वृद्धि का यह मुख्य कारण था।

3.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने अपने 65वें प्रतिवेदन (दिसम्बर 2015) में विभाग को आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करने एवं उसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निर्देशित किया था। हालांकि, विभाग द्वारा लो.ले.स. के आदेशों का पालन किया जाना शेष है।

विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2017), लेकिन बताया कि विभाग में वित्त/लेखा सेवा में पदस्थ कर्मचारियों के द्वारा रोस्टर के अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य सम्पादित किया गया है। उत्तर निम्नलिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं

हैं: (1) विभाग ने यह नहीं स्पष्ट किया कि वह लोक लेखा समिति के आदेशों का पालन करने में क्यों असफल रहा; (2) विभाग ने अपने कथन के समर्थन में साक्ष्य के रूप में लेखापरीक्षित इकाईयों एवं ली गई आपत्तियों का व्यौरा प्रस्तुत नहीं किया; (3) जैसा कि विभाग ने स्वीकार किया, कि विभाग में वरि. लेखा अधिकारी का पद रिक्त है अतः आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्य, जिसे सम्पादित किया जाना बताया गया है, उस पर कोई पर्यवेक्षणीय नियंत्रण नहीं था।

अनुशंसा:

विभाग को लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं का तत्काल पालन और पूर्णकालिक रूप से कार्य करने वाली आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना सुनिश्चित करना चाहिये।

3.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016–17 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग (वा. क. वि.) के 113 इकाईयों¹ (132 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से) को लेखापरीक्षा के लिये सम्मिलित किया गया। विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान लगभग ₹ 26,366.16 करोड़ सकल राजस्व प्राप्त किया गया जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 20,590.54 करोड़ एकत्रित किया। “म.प्र. वैट अधिनियम के तहत निर्माण ठेकों और बिल्डरों पर करों का निर्धारण” की लेखापरीक्षा दिसम्बर 2016 और नवम्बर 2017 के मध्य की गई। लेखापरीक्षा में 1,398 प्रकरणों में ₹ 1,030.24 करोड़ के कम कर निर्धारण एवं अन्य अनियमिततायें पाई गयीं जिन्हें तालिका 3.2 में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

तालिका 3.2

लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्गीकरण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1	“म.प्र. वैट अधिनियम के तहत निर्माण ठेकों और बिल्डरों पर करों का निर्धारण” पर लेखापरीक्षा	1	667.02
2	कर की कम आरोपण/अनारोपण नहीं किया जाना।	291	49.41
3	कर की त्रुटिपूर्ण दर का आरोपण	137	43.81
4	कर का त्रुटिपूर्ण निर्धारण	381	132.85
5	त्रुटिपूर्ण छूट/कटोत्रा प्रदान किया जाना	179	33.64
6	अन्य	409	103.51
योग		1,398	1,030.24

विभाग ने 872 प्रकरणों में ₹ 961.40 करोड़ के कर का कम निर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया। शेष प्रकरणों में यह उत्तर दिया गया कि प्रकरणों को पुनः खोला जायेगा और लेखापरीक्षा को तदनुसार अवगत करवाया जायेगा। इस संबंध में वसूली की आगामी प्रगति की निगरानी लेखापरीक्षा में की जायेगी।

¹ आयुक्त वाणिज्यिक कर, 26 संभागीय कार्यालयों, 21 क्षेत्रीय कार्यालयों और 65 वृत्त कार्यालयों

विभाग ने यह भी सूचित किया कि वर्ष 2016–17 के दौरान पूर्व लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 24 प्रकरणों में ₹ 2.68 करोड़ का राजस्व वसूल किया गया।

3.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा ने 116 कपिडकाओं में ₹ 542.10 करोड़ की विभिन्न आपत्तियों को इंगित किया था जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा केवल ₹ 1.11 करोड़ की वसूली की गई। आगे, लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की (ले.प. प्रतिवेदन 2014–15) थी कि, विभाग वैट निर्धारण के संबंध में नीतियों एवं सामान्य नियमों का अनुसरण करने वाली कार्यप्रणाली की रूप रेखा बनाने के लिए मैन्युअल तैयार करे। हालांकि, विभाग ने ऐसा कोई मैन्युअल नहीं बनाया था।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2004–05 एवं 2006–07 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की सदृश कपिडकाओं के लिए पहले ही अपनी अनुशंसा एवं निर्देश दिये (65वें प्रतिवेदन, 2014–15 एवं 72वाँ प्रतिवेदन, 2015–16) थे। कुछ निर्देश इस प्रकार थे: (1) विभाग समान प्रकृति की आपत्तियों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने के लिये निर्देश जारी करे; (2) चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

हालांकि इन निर्देशों का पालन करने में विभाग असफल रहा और इस प्रकार की अनियमितताएं जारी हैं।

अनुशंसा:

- विभाग को लोक लेखा समिति के निर्देशों का पालन करना चाहिए और निर्देश जारी करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार की अनियमितताएं न हो, कार्यवाही करना चाहिए;
- विभाग को अधिकारियों तथा कर्मचारियों के उपयोग के लिये नियमों, कार्यविधि और दिशानिर्देशों इत्यादि का मैन्युअल तैयार करना चाहिये।

3.6 "मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के तहत निर्माण ठेकों और बिल्डरों पर करों का निर्धारण" पर लेखापरीक्षा

3.6.1 परिचय

मध्यप्रदेश मूल्यसंवर्धित कर अधिनियम, 2002 (म.प्र. वैट अधिनियम) के अंतर्गत "विक्रय"² की परिभाषा में "निर्माण ठेके के निष्पादन में अंतर्निहित वस्तु में संपत्ति का हस्तांतरण" शामिल है। प्रत्येक निर्माण कार्य ठेकेदार जिसका कारोबार एक वर्ष में पाँच लाख रुपये से अधिक हो जाता है, वह स्वयं को वाणिज्यिक कर विभाग (वा.क.वि.) के साथ पंजीकृत करेगा और निर्माण ठेके के निष्पादन में हस्तांतरित वस्तुओं के मूल्य पर धारा 9 के अंतर्गत निर्दिष्ट दरों³ पर कर का भुगतान करेगा। हालांकि, निर्माण कार्य ठेकेदार, प्रशमन सुविधा³ का चयन कर सकते हैं लेकिन हस्तांतरित वस्तु के क्रय मूल्य पर आगत कर छूट (आई.टी.आर.) के पात्र नहीं होंगे।

म.प्र. वैट अधिनियम संशोधित किया गया था (अप्रैल 2011) और धारा 9–बी "भवनों पर कर" को बिल्डरों पर उनके द्वारा निर्मित एवं विक्रय किए गए या पट्टे पर दिए गए भवनों के पूँजी मूल्य पर पाँच प्रतिशत की दर से कर लगाने के लिए जोड़ा गया था।

² कर की पाँच प्रतिशत दर जैसा कि अनुसूची II के भाग II में उल्लेखित है और कर की 13/14 प्रतिशत दर जैसा कि अनुसूची II के भाग IV में उल्लेखित है

³ प्रशमन सुविधा के अंतर्गत, निर्माण ठेकेदारों को म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 9 के तहत कर चुकाने के बजाय धारा 11–ए के अंतर्गत एक या पाँच प्रतिशत की दर से एकमुश्त कर का भुगतान करने की अनुमति है

इस धारा के तहत कोई कर उन लेनदेनों के संबंध में नहीं लगाया जाएगा जो निर्माण ठेके की प्रकृति में हैं और जिन पर धारा 9 के तहत निर्माण कार्य ठेकेदार के रूप में कर देय है। प्रत्येक बिल्डर धारा 9-बी के तहत कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है और ऐसा व्यवसायी जो धारा 9 के तहत कर चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं है, वह स्वयं को वाणिज्य कर विभाग के साथ नामांकित करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय⁴ के अनुसार, यदि किसी क्रेता से अग्रिम लेकर क्रेता के साथ बिल्डर द्वारा अनुबंध कर भवन का निर्माण किया जाता है तथा इस हेतु क्रेता से अग्रिम भी लिया जाता है तो इस तरह के लेनदेन को निर्माण ठेके के रूप में माना जाएगा और धारा 9 के तहत कर निर्धारण निर्माण ठेके के निष्पादन में हस्तांतरित वस्तुओं के मूल्य पर किया जाना चाहिए।

3.6.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी कि :

- निर्माण कार्य ठेकेदारों और बिल्डरों द्वारा भुगतान योग्य कर की निगरानी के लिए विभाग में एक प्रभावी प्रणाली विद्यमान है;
- राजस्व की क्षति को रोकने के लिए अधिनियमों/नियमों के प्रावधान, परिपत्रों/अधिसूचनाओं में निहित अनुदेश/आदेशों का पालन किया गया था; और
- घोषित टर्नओवर यथार्थ था, आगत कर छूट (आई.टी.आर.) का लाभ उठाया गया एवं निर्माण कार्य ठेकेदारों और बिल्डरों द्वारा स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) पर किये गए दावे सुनिश्चित किए गए थे।

3.6.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से लिये गए थे:

- मध्यप्रदेश वैट अधिनियम, 2002;
- मध्यप्रदेश वैट नियम, 2006;
- मध्यप्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 1976 और
- राज्य शासन और विभाग द्वारा जारी नियम, अधिसूचनाएं, परिपत्र और निर्देश।

3.6.4 लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र और पद्धति

लेखापरीक्षा दिसंबर 2016 और नवम्बर 2017 के बीच संपादित की गई थी। 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2017 के बीच कर निर्धारण अधिकारियों (क. नि. अ.) द्वारा किए गए कर निर्धारण पर 2012–13 से 2014–15 की अवधि से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई थी।

लेखापरीक्षा ने सभी निर्माण वृत्तों⁵ और उनके संभागीय कार्यालयों⁶ का चयन किया जो विशेष रूप से बिल्डरों और ठेकेदारों के प्रकरणों का निर्धारण करने के लिए स्थापित किए गए थे। शेष 45 वृत्तों में से, लेखापरीक्षा ने यादृच्छिक नमूना आधार पर नौ वृत्तों⁷ का चयन किया था।

राज्य में 33,810 पंजीकृत निर्माण कार्य ठेकेदार और 311 नामांकित बिल्डर थे (दिसंबर 2016), जिनमें से 16,176 निर्माण कार्य ठेकेदार और 236 बिल्डर चयनित इकाईयों में

⁴ 2013 की सिविल अपील संख्या 8672 –मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य 2013

⁵ वा.क.अधि.– भोपाल-6, ग्वालियर- 1, इंदौर- 3 और जबलपुर-2

⁶ उप.आयु.– भोपाल-1, ग्वालियर-1, इंदौर-2 और जबलपुर-1

⁷ वा.क.अधि.– अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, छत्तरपुर, झाबुआ, रत्लाम-1, रीवा, सेंधवा और वैढ़न

पंजीकृत/नामांकित थे। लेखापरीक्षा ने चयनित इकाईयों में लेखापरीक्षा में आवृत्त अवधि के दौरान कर निर्धारण किये गये 691 निर्माण कार्य ठेकेदारों और 162 बिल्डरों के अभिलेखों की जाँच की। विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए शेष निर्माण ठेकेदारों और बिल्डरों के अभिलेखों की आंतरिक रूप से जाँच कर सकता है कि उन्होंने कर की सही राशि का भुगतान किया है।

लेखापरीक्षा ने विभाग से मूल्यवर्धित कर सूचना प्रणाली (वैटिस⁸) का डेटा⁹ प्राप्त किया और ई-विवरण पत्र, निर्माण ठेकेदारों द्वारा दिए गए कर के प्रशमन के लिए विकल्प, प्रशमन के माध्यम से कर का आरोपण, जमा किया गया कर, आगत कर छूट का सत्यापन, जारी किए गए वैधानिक प्रपत्र और कर निर्धारण आदेशों का विश्लेषण किया। नगर निगम और पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग जैसे बाहरी स्रोतों से भी ऑकड़े प्राप्त किये गये और वाणिज्यिक कर विभाग के डेटाबेस के साथ ये ऑकड़े प्रति सत्यापित किए गये।

10 मार्च 2017 को विभाग के प्रमुख सचिव के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और पद्धति पर चर्चा की गई। विभाग के प्रमुख सचिव के साथ 29 नवम्बर 2017 को एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था। विभाग के उत्तरों को कण्डिकाओं में यथोचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी और अभिलेख प्रदान करने में विभाग के सहयोग को अभिस्वीकृति दी जाती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने ₹ 667.02 करोड़ के वित्तीय प्रभाव से जुड़े अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों/नियमों का अनुपालन नहीं होने एवं प्रणाली की कमियां पारीं, जैसा अनुवर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई है:

प्रणाली में कमियाँ

3.6.5 निर्माण ठेके एवं कर योग्य टर्नओवर निर्धारित करने की प्रक्रिया मध्यप्रदेश वैट अधिनियम में परिभाषित नहीं की गई थी

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम निर्माण कार्य ठेके और कर योग्य टर्नओवर को निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया को परिभाषित नहीं करता। परिणामतः, निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्माण ठेके पर करों के निर्धारण के लिए एक समान प्रक्रिया लागू नहीं की।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 की धारा 29-ए राज्यों को निर्माण कार्य ठेके के निष्पादन में हस्तांतरित वस्तु के मूल्य पर विक्रय कर लगाने के लिए अधिकृत करता है और यह परिभाषा म.प्र. वैट अधिनियम में भी सम्मिलित की गई थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि निर्माण कार्य ठेके म.प्र. वैट अधिनियम के तहत विशेष रूप से परिभाषित नहीं है; विवरणी के लिए कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है, न ही ठेकेदारों के कर योग्य टर्नओवर (हस्तांतरित सामग्री का मूल्य) के निर्धारण के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई गई है। इसलिए, निर्धारण प्राधिकारी ने ठेकेदारों के कर योग्य टर्नओवर को निर्धारित करने के लिए अलग-अलग तरीकों को अपनाया था या या तो सकल प्राप्ति से प्रत्यक्ष व्यय की कटौती या क्रय की गई हस्तांतरित वस्तु के मूल्य में

⁸ विभागीय कार्य यानी पंजीकरण, विवरण पत्र प्रस्तुत करना, वैधानिक प्रपत्र जारी करना, वैट ऑडिट रिपोर्ट जमा करना और निर्धारण इत्यादि करना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 'वैटिस' के माध्यम से किया जाता है

⁹ वर्ष 2012–13 से 2015–16 के लिए विभाग से प्राप्त वैटिस डाटा (दिसंबर 2016)

लाभ और संबंधित अन्य व्ययों को जोड़ने को अनुमत्य किया गया। इसके परिणामस्वरूप 125 प्रकरणों में अवनिर्धारण हुआ जैसा कि कण्डिका 3.6.10 में चर्चा की गई है।

निर्गम सम्मेलन में, विभाग ने बताया (नवम्बर 2017) कि इस तथ्य पर ध्यान दिया गया था, लेकिन आगामी वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में उपर्युक्त विसंगति को ठीक कर लिया जावेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वैट व्यवस्था के पुराने प्रकरणों में कर निर्धारण/पुनर्निर्धारण पूरा नहीं हुआ है और इसलिए निर्माण कार्य अनुबंध और संबंधित प्रक्रियाओं को परिभाषित करने की आवश्यकता है।

अनुशंसा:

विभाग निर्माण कार्य ठेकेदारों के कर योग्य टर्नओवर के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश/निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

3.6.6 निर्माण कार्य ठेकेदारों/बिल्डरों के प्रकरण निर्माण वृत्तों में शामिल नहीं किये गये थे

चार निर्माण वृत्तों के गठन के बाद भी, निर्माण कार्य ठेकेदारों/बिल्डरों के 1,947 प्रकरणों का कर निर्धारण अन्य वृत्तों में किया गया था।

राज्य शासन ने ठेकेदारों, बिल्डरों और निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, लौह और इस्पात, गिट्टी, मुर्स¹⁰, ईंटें, संगमरमर और टाईल्स का व्यवसाय करने वाले डीलरों के प्रकरणों में कर देयता की प्रभावी निगरानी और इनपुट टैक्स छूट के सत्यापन के उद्देश्य से चार नए निर्माण कार्य वृत्तों¹¹ का गठन अधिसूचित किया (सितंबर 2012)। ऐसे प्रकरणों के निर्धारिती संबंधित राजस्व जिलों¹² के अनुरूप निर्माण कार्य वृत्तों में सम्मिलित किए जाने थे।

लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया किया कि चार राजस्व जिलों के निर्माण ठेकेदारों/बिल्डरों के 8,913 प्रकरणों में से 1,947 प्रकरण नए निर्माण वृत्तों में शामिल नहीं किए गए थे और ये निर्धारिती सितम्बर 2012 और नवम्बर 2017 के बीच उनके पूर्व वृत्तों में विवरणी जमा करते रहे। परिणामतः चार विशिष्ट निर्माण कार्य वृत्तों के गठन का उद्देश्य ही असफल हो गया था।

निर्गम सम्मेलन के दौरान लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए विभाग ने कहा (नवम्बर 2017) कि ठेकेदारों का कर निर्धारण प्रशासनिक सुविधा के लिए राजस्व वृत्तों में जारी रहा है, क्योंकि चिन्हांकित चारों वृत्त ऐसे सभी प्रकरणों को संभालने में सक्षम नहीं थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग को अतिरिक्त कार्य भार संभालने के लिए निर्माण वृत्तों को सक्षम करना है और विद्यमान प्रणाली जो राज्य शासन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, जारी नहीं रखना है।

अनुशंसा:

विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि चार राजस्व जिलों के निर्माण ठेकेदारों के सभी प्रकरणों को संबंधित निर्माण वृत्तों में हस्तांतरित कर दिया जावे।

¹⁰ सड़क सतहों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रकार का लेटराइट

¹¹ वा.क.अधि.— भोपाल-6, ग्वालियर-1, इंदौर-3 और जबलपुर-2

¹² भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर के राजस्व जिले

3.6.7 टी.डी.एस. प्रमाण पत्र और संबंधित विवरणियों की निगरानी न होना


विभाग ने प्रपत्र 35 में उन व्यक्तियों द्वारा वार्षिक विवरणियों को जमा करना सुनिश्चित नहीं किया था जिन्होंने रिक्त टी.डी.एस. प्रमाण पत्र लिए थे।

म.प्र. वैट अधिनियम और म.प्र. वैट नियम प्रावधानित करते हैं कि व्यक्ति¹³ निर्माण कार्य ठेकेदारों से कटौती की गई टी.डी.एस. की राशि अगले माह के 10 वें दिन से पहले शासकीय कोषालय में जमा करेगा। व्यक्ति वाणिज्यिक कर विभाग से रिक्त टी.डी.एस. प्रमाणपत्र (प्रपत्र 32) प्राप्त करेंगे और निर्माण कार्य ठेकेदारों को विधिवत भरा टी.डी.एस. प्रमाण पत्र देंगे। वे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर प्रपत्र 35¹⁴ में उपयोग किए गए टी.डी.एस. प्रमाणपत्रों से संबंधित वार्षिक विवरणी जमा करने के लिए भी बाध्य हैं। आयुक्त, वाणिज्यिक कर (आ.व.क.) के परिपत्रों¹⁵ के माध्यम से टी.डी.एस. के विवरण प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

तेरह वृत्तों में से चार वृत्तों¹⁶ की लेखापरीक्षा जाँच में प्रकट हुआ कि 2012–13 और 2015–16 के बीच की अवधि के लिए अधिकांश व्यक्तियों, जिन्होंने वाणिज्यिक कर विभाग से रिक्त टी.डी.एस. प्रमाणपत्र के प्रपत्र प्राप्त किए थे, ने प्रपत्र 35 में वार्षिक विवरणियाँ जमा नहीं की थी एवं कमी 69 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच थी। विभाग ने इन व्यक्तियों द्वारा विवरणियाँ जमा करवाने के लिए कार्यवाही भी प्रारंभ नहीं की गई। विवरण चार्ट 3.1 में दिया गया है।

चार्ट 3.1

व्यक्तियों का विवरण जिन्होंने विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किया



- व्यक्तियों की संख्या जिन्हें विवरण पत्र प्रस्तुत करना था
- व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किया

विभाग वार्षिक विवरणियाँ जमा करने की अनिवार्य आवश्यकता की निगरानी करने में असफल रहा, जिससे विभाग को टी.डी.एस. की कम कटौती, शासकीय कोषालय में जमा करने में विलम्ब और अपंजीकृत डीलरों की पहचान का पता लगाने में सुविधा होती।

¹³ व्यक्ति का अर्थ है—केन्द्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नगर निगम, तत्समय प्रभावी किसी कानून के अध्यधीन गठित प्राधिकरण पब्लिक लिमिटेड कंपनी

¹⁴ फॉर्म 35 में ठेकेदार को भुगतान का पूरा विवरण और टी.डी.एस. की कटौती और जमा राशि का विवरण भी शामिल होता है

¹⁵ परिपत्र संख्या 164/2012-13/30/15/डायरी/6, इंदौर दिनांक 15 फरवरी 2013 और संख्या/184/2012-13/30/15/22, इन्दौर दिनांक 31 मार्च 2013

¹⁶ वा.क.अधि.— इंदौर 3, झाबुआ, रीवा और सेंधवा

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) के दौरान विभाग इस तथ्य से सहमत हुआ और व्यक्तियों द्वारा विवरणियाँ की प्रस्तुति के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

अनुशंसा:

विभाग को टी.डी.एस. कटौती करने वाले व्यक्तियों द्वारा वार्षिक विवरणियाँ जमा करने के संबंध में विभागीय अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है।

3.6.8 बिल्डरों और ठेकेदारों का पंजीयन नहीं होना

पाँच लाख रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले 656 ठेकेदारों को पंजीकृत करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदारों की ₹ 456.99 करोड़ की प्राप्तियाँ कर निर्धारण से छूट गई।

म.प्र. वैट अधिनियम यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक ठेकेदार, जिसका कारोबार एक वर्ष में पाँच लाख रुपये से अधिक हो, वह स्वयं को वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत करेगा। आयुक्त ने निर्माण वृत्तों के वृत्त प्रभारियों को परिपत्रों¹⁷ के माध्यम से ऐसे निर्माण कार्य ठेकेदारों की कर देयता का निर्धारण करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में निष्पादित कार्यों पर नगर निगमों से वार्षिक विवरण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया था।

चार नगर निगमों¹⁸ से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा नूमना जाँच से प्रकट हुआ कि वृत्त प्रभारी, नगर निगमों द्वारा विवरणियाँ नियमित रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने में विफल रहे और जाँच के दौरान पता चला था कि इसके परिणामस्वरूप, 656 अपंजीकृत ठेकेदारों द्वारा प्राप्त ₹ 456.99 करोड़ की राशि का कर निर्धारण नहीं हुआ।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में, विभाग ने वाणिज्यिक कर इकाईयों को नगर निगमों के साथ अभिलेखों का पुनर्मिलान करने के अनुदेश जारी किए। प्रगति की निगरानी आगामी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

अनुशंसा:

विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करे कि वाणिज्यिक कर इकाईयां अनिवार्य रूप से नगर निगमों और नगर परिषदों के साथ उनके अभिलेखों का पुनर्मिलान करें ताकि सभी ठेकेदार जिनका पंजीकृत होना आवश्यक हो उनका पंजीयन हो एवं उनके कारोबार पर कर निर्धारित किया जाये।

अनुपालन की कमियाँ

निर्माण कार्य ठेकेदारों पर कर का कम आरोपण

3.6.9 निर्माण कार्य ठेकों के निष्पादन में अधिसूचित वस्तुओं पर कर का कम आरोपण

¹⁷ संख्या/164/2012–13/30/पंद्रह/डायरी/06 दिनांक 15 फरवरी 2013 और संख्या/164/2012–13/30/पंद्रह/डायरी /365, दिनांक 09 मई 2014

¹⁸ भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर

कर निर्धारण प्राधिकारी निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा रेत और गिर्ही की खपत पर रॉयल्टी भुगतान एवं सम्बन्धित अभिलेखों के साथ उनकी विवरणियों को प्रतिसत्यापित करने में असफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप शास्ति सहित ₹ 45.51 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

राज्य शासन ने रेत और गिर्ही (पत्थर के छोटे टुकड़े) जैसी सामग्रियों को ₹ 20 प्रति घन मीटर (घ.मी.) की दर से कर के लिए अधिसूचित¹⁹ किया। साथ ही, यदि कर का अवनिर्धारण ठेकेदार पर आरोपणीय है, तो म.प्र. वैट अधिनियम के तहत निर्धारित कर की राशि के 3 से 3.5 गुना के बीच शास्ति आरोपित की जाएगी।

आठ वृत्त कार्यालय²⁰ और संभाग-1, भोपाल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नूमना जाँच में पाया गया कि 30 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने लेखा-पुस्तिकाओं और अन्य सम्बन्धित अभिलेखों में दर्शाई गई रेत/गिर्ही भुगतान की गई रॉयल्टी के आधार पर आयतन को सत्यापित किए बिना 70,92,014 घ.मी. के समग्र आयतन के विरुद्ध रेत और गिर्ही की मात्रा का निर्धारण 12,83,535 घ.मी. किया था। रेत और गिर्ही के 58,08,479 घ.मी. का कम निर्धारण करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 11.62 करोड़ के कर और ₹ 33.89 करोड़ की शास्ति की राशि का कम आरोपण हुआ।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में, विभाग लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ सहमत हुआ और आश्वासन दिया कि इन सभी प्रकरणों को पुनः खोला जाएगा और लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी।

3.6.10 अनिवार्य जाँच करने में विफलता के कारण कर का कम आरोपण

कर निर्धारण के समय अंकेक्षित लेखों, क्रय की गई सामग्री के विवरण, टी.डी.एस. प्रमाण पत्र इत्यादि अभिलेखों की अनिवार्य जाँच करने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता से ₹ 872.97 करोड़ के कारोबार का अवनिर्धारण हुआ परिणामस्वरूप शास्ति सहित ₹ 226.13 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

तीन संभागीय कार्यालय²¹ एवं 10 वृत्त कार्यालयों²² के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच ने व्यक्त किया कि निर्माण ठेकेदारों के 125 प्रकरणों में निर्माण कार्यों से संबंधित अनुबंध, कार्य आदेश, चलित-लेखा देयक जैसे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रकरणों की फाइलों में नहीं पाए गए थे। निर्माण कार्य ठेकों के निष्पादन में हस्तांतरित वस्तु की प्रकृति, मूल्य और मात्रा की जाँच किए बिना, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए कर प्रस्तावों के आधार पर ही ₹ 1,907.67 करोड़ के कुल कारोबार के विरुद्ध ₹ 1,034.70 करोड़ के कर योग्य कारोबार का कर निर्धारण किया जो विभाग के पास उपलब्ध अंकेक्षित लेखों, क्रय की गई सामग्री के मूल्य, टी.डी.एस. प्रमाणपत्र इत्यादि के आधार पर संगणित किया गया था। इस प्रकार, कर निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारण के समय अभिलेखों की अनिवार्य जाँच करने में विफल रहे, जिससे ₹ 872.97 करोड़ के कारोबार का अवनिर्धारण हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 58.04 करोड़ के कर एवं ₹ 168.09 करोड़ की शास्ति का कम आरोपण हुआ।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में, विभाग लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ सहमत हुआ और आश्वासन दिया कि इन सभी प्रकरणों को पुनः खोला जाएगा और लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी।

¹⁹

27 जनवरी 2010 की शासकीय अधिसूचना संख्या 35

²⁰

वा.क.अधि.— भोपाल-6, ग्वालियर-1, इन्दौर-3, जबलपुर-2, झाबुआ, रतलाम-1, रीवा और सेंधवा

²¹

उप.आयु.— भोपाल-1, ग्वालियर-1 और इंदौर-2

²²

वा.क.अधि.— बैतूल, भोपाल-6, छतरपुर, ग्वालियर-1, इन्दौर-3, जबलपुर-2, झाबुआ, रतलाम-1, रीवा और सेंधवा

अनुशंसा:

विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करना चाहिये कि कर निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारण के समय निर्माण कार्य ठेकों के निष्पादन में हस्तांतरित वस्तुओं के मूल्य से संबंधित सभी अभिलेखों का सत्यापन करें।

उप-ठेकेदार

3.6.11 उप-ठेकेदारों द्वारा कर भुगतान की पुष्टि किए बिना मुख्य ठेकेदारों से कटौतियाँ मान्य की गई

मुख्य ठेकेदारों को कटौतियों की अनुमति देते समय कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा उप-ठेकेदारों के कर निर्धारण प्राधिकारियों से उप-ठेकेदारों द्वारा इन कटौतियों पर कर भुगतान को सत्यापित करने में विफलता के परिणामस्वरूप उप-ठेकेदारों/मुख्य ठेकेदारों के कर योग्य कारोबार में ₹ 171.82 करोड़ की ठेका प्राप्तियाँ सम्मिलित नहीं हुईं, और शास्ति सहित ₹ 20.60 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

म.प्र. वैट अधिनियम प्रस्तावित करता है कि निर्माण कार्य ठेके उप-ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित होने के प्रकरणों में, मुख्य ठेकेदार और उप-ठेकेदार ऐसे कार्यों के ठेके के संबंध में कर चुकाने के लिए संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। यदि ठेकेदार विभाग की संतुष्टि के लिए निर्धारित तरीके²³ से सिद्ध करता है कि उप-ठेकेदार द्वारा निर्माण ठेकों के टर्नओवर पर कर का भुगतान किया गया है, तो ठेकेदार उस टर्नओवर पर फिर से कर चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लेखापरीक्षा जाँच ने निम्नलिखित प्रकरणों में कर के निर्धारण के समय उप-ठेकेदारों के कर योग्य टर्नओवर को सम्मिलित करने के लिए कर निर्धारण प्राधिकारी की विफलता को प्रकट किया:

- मैसर्स सरला मैनटेना एम.पी.जे.वी. (मुख्य ठेकेदार) ने पेंच डायवर्सन परियोजना में टर्नकी आधार पर ₹ 145 करोड़ और ₹ 100 करोड़ के दो निर्माण कार्य ठेके प्राप्त किए थे (क्रमशः मई 2013 एवं जुलाई 2013)। मुख्य ठेकेदार ने संपूर्ण निर्माण कार्यों को मैसर्स मैनटेना इंफ्रा एल.एल.पी. और मैसर्स सरला प्रोजेक्ट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को उपठेके पर दे दिए। 2014–15 से संबंधित कर निर्धारण में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने इस तथ्य को सत्यापित किए बिना कि दोनों उप-ठेकेदारों ने उनके विवरणियों में टर्नओवर के निर्धारण में उपरोक्त प्राप्तियाँ सम्मिलित नहीं की थीं, उप-ठेकेदारों द्वारा कर-देयता की स्वीकृति के आधार पर ठेका प्राप्तियों में से ₹ 93.95 करोड़ की राशि की मुख्य ठेकेदार को कटौती की अनुमति दी (मैनटेना इन्फ्रा के लिए ₹ 51.69 करोड़ और सरला प्रोजेक्ट वर्क्स परियोजना के लिए ₹ 42.26 करोड़)।
- मैसर्स एच.ई.एस. इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (मुख्य ठेकेदार) ने पेंच डायवर्सन परियोजना में टर्नकी आधार पर ₹ 126 करोड़ और ₹ 76.50 करोड़ की राशि के दो निर्माण कार्य ठेके प्राप्त किए थे (दोनों अगस्त 2013 में)। मुख्य ठेकेदार ने दोनों निर्माण कार्यों को मैसर्स मैनटेना इंफ्रा एल.एल.पी. को उपठेके पर दे दिया। 2014–15 से संबंधित कर निर्धारण में, कर निर्धारण प्राधिकारी ने इस तथ्य को सत्यापित किए बिना कि उप-ठेकेदार ने उसके विवरणी में टर्नओवर के निर्धारण में उपरोक्त प्राप्तियाँ सम्मिलित नहीं की थीं, उप-ठेकेदार द्वारा कर देयता की स्वीकृति के आधार पर ठेका प्राप्तियों में से ₹ 10.23 करोड़ की राशि की कटौती की मुख्य ठेकेदार को अनुमति दी।

²³ ठेकेदार द्वारा कटौती के दावों को उप-ठेकेदार द्वारा फॉर्म 3 में एक घोषणा द्वारा समर्थित किया जाएगा।

- मैसर्स एच.ई.एस. मैनटेना एम.पी.जे.वी. (मुख्य ठेकेदार) ने माही बांध परियोजना में पूरे निर्माण कार्यों को मैसर्स मैनटेना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सबलेट कर दिया। 2014–15 से संबंधित कर निर्धारण में, निर्धारण प्राधिकारी ने उपरोक्त प्राप्तियों पर उप–ठेकेदार द्वारा कर देयता की स्वीकृति के आधार पर मुख्य ठेकेदार की ठेका प्राप्तियों में से ₹ 67.34 करोड़ की कटौती की अनुमति दी। यद्यपि, उप–ठेकेदार ने अपने टर्नओवर में ठेका प्राप्तियों को सम्मिलित नहीं किया था और कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इसका पता नहीं लगाया गया था।

उपरोक्त सभी प्रकरणों में, मुख्य ठेकेदारों के निर्धारण प्राधिकारियों ने, मुख्य ठेकेदारों को कटौती की अनुमति देते समय, उप–ठेकेदारों के कर निर्धारण अधिकारी से यह प्रतिसत्यापन नहीं किया था कि उप–ठेकेदारों ने इन कटौतियों पर कर चुकाया था या नहीं। परिणामतः ₹ 171.82 करोड़ की ठेका प्राप्तियाँ न तो मुख्य ठेकेदारों और न ही उप–ठेकेदारों ने उनके कर योग्य टर्नओवर में सम्मिलित की थीं। इससे ₹ 5.15 करोड़ के कर और ₹ 15.45 करोड़ की शास्ति का कम आरोपण हुआ।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में, विभाग लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ सहमत हुआ। विभाग ने आगे सूचित किया (फरवरी 2018) कि सभी प्रकरणों को म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत पुनर्निर्धारण के लिए पुनः खोल दिया गया था।

अनुशंसा :

विभाग एक तंत्र विकसित कर सकता है जिससे मुख्य ठेकेदारों को केवल यह साक्ष्य प्राप्त होने पर ही कटौती की अनुमति दी जा सकती है कि उन उप–ठेकेदारों ने वास्तव में कर जमा किया था, जिनके टर्नओवर पर मुख्य ठेकेदारों ने कटौती का दावा किया था।

3.6.12 वांछित प्रमाणपत्र प्रपत्र–3 के अभाव में उप ठेका मूल्य का अनियमित अपवर्जन

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने उप–ठेके मूल्य को सम्मिलित किए बिना कर योग्य टर्नओवर निर्धारित किया, परिणामस्वरूप ₹ 5.20 करोड़ की राशि के कर और शास्ति का कम आरोपण हुआ।

म.प्र. वैट अधिनियम और म.प्र. वैट नियम विहित करते हैं कि मुख्य ठेकेदार द्वारा दावा की गई ठेके प्राप्ति से कटौती को, मुख्य ठेकेदार को उप–ठेकेदार द्वारा जारी किए जाने वाले प्रपत्र–3 में एक घोषणा द्वारा समर्थित किया जाएगा और मुख्य ठेकेदार पुनः उक्त टर्नओवर पर कर चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

निर्माण कार्य ठेकेदारों से संबंधित अभिलेखों (कर निर्धारण आदेश, अंकेक्षित लेखे, विवरणियाँ, वैटिस प्रतिवेदन इत्यादि) की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि सात वृत्त कार्यालयों²⁴ में अप्रैल 2015 और मार्च 2017 के बीच ठेकेदारों के 17 प्रकरणों में, कर निर्धारण वर्ष 2012–13 से 2014–15 के लिए कर निर्धारण अधिकारी ने प्रपत्र–3 की अनुपस्थिति में भी उप–ठेके के व्यय को छोड़कर अनियमित रूप से कर योग्य टर्नओवर निर्धारित किया। यद्यपि, उप–ठेकेदार के अंकेक्षित लेखों में उनके द्वारा किये गये ₹ 70.96 करोड़ के व्यय प्रमाणित हुए, जिन्हे मुख्य ठेकेदारों के टर्नओवर में सम्मिलित करना आवश्यक था। इस प्रकार, मुख्य ठेकेदारों के कर योग्य टर्नओवर को निर्धारित करने में उप–ठेकेदारों के व्यय को शामिल न करने के कारण ₹ 70.96 करोड़ तक के कर योग्य टर्नओवर का अवनिर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.12 करोड़ रूपये की राशि के कर और ₹ 3.08 करोड़ की शास्ति का कम आरोपण हुआ।

²⁴

वा.क.अधि.– भोपाल–6, ग्वालियर–1, इंदौर–3, जबलपुर–2, झाबुआ, रतलाम और रीवा

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में विभाग लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमत हुआ और आश्वासन दिया कि इन सभी प्रकरणों को पुनः खोला जाएगा और उचित कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को तदनुसार अवगत करवाया जाएगा।

कर—प्रशमन के प्रबंधन में कमियाँ

मध्यप्रदेश में निर्माण कार्य ठेकों से जुड़े पंजीकृत विक्रेता उनके द्वारा निष्पादित कार्यों के संबंध में प्रशमन सुविधा का चयन कर सकते हैं। प्रशमन सुविधा के अंतर्गत, निर्माण कार्य ठेकेदारों को कर योग्य टर्नओवर पर म.प्र. वैट अधिनियम की अनुसूची-2 में निर्धारित दर पाँच से 14 प्रतिशत के बीच कर के बजाय सकल ठेके प्राप्तियों पर एक या पाँच प्रतिशत²⁵ की दर से एकमुश्त कर का भुगतान करने की अनुमति है। ठेकेदार प्रशमित कर का भुगतान करेगा और भुगतान के प्रमाण के साथ तिमाही के बाद 30 दिनों के भीतर प्रपत्र 4—बी में अपना त्रैमासिक विवरण पत्रक प्रस्तुत करेगा। प्रशमन का चयन करने वाले विक्रेताओं को विवरणी जमा करने (धारा 18), अंकेष्ठित लेखों के संधारण (धारा 39), कर निर्धारण की देयता (धारा 20) और कर की राशि के भुगतान में विलम्ब के प्रकरणों में ब्याज की {धारा 18 (4) (क)} माँग नहीं की जा सकती। यदि विक्रेता जो प्रशमन का चयन करते हैं, म.प्र. वैट नियमों के नियम 8—ए के अंतर्गत निर्धारित प्रतिबंधों और शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो वा.क.अ. पंजीकृत विक्रेता को दी गई अनुमति को निरस्त कर सकता है, एवं तब वह धारा 20 के अंतर्गत कर निर्धारण के पात्र होंगे और धारा 18, 20 और 39 के प्रावधान निर्माण कार्य ठेके के संबंध में लागू होंगे, जिसके संबंध में ऐसी अनुमति निरस्त की गई थी।

3.6.13 प्रशमन सुविधा के लिए विकल्प की गलत स्थीकृति

कर के प्रशमन के विकल्प के लिए आवेदनों को निर्माण कार्य आरंभ होने से 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक था। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी ने उन प्रकरणों में कारणों को अभिलिखित किए बिना कर के प्रशमन की अनुमति दी, जहां आवेदन 10 से 3,296 दिनों के बीच विलम्ब से प्राप्त हुए थे।

म.प्र. वैट अधिनियम और म.प्र. वैट नियम प्रस्तावित करते हैं कि कर प्रशमन हेतु आवेदन निर्माण कार्य ठेके निष्पादन आरंभ होने के 60 दिनों के भीतर संबंधित वा.क.अधि. को प्रपत्र 4—ए में ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। प्रपत्र 4—ए जमा करने में विलम्ब के प्रकरणों में, वा.क.आ. आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। किन्तु, यदि इस तरह के विलम्ब के लिए पर्याप्त और उचित कारण हैं, तो विलम्ब को माफ़ किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा प्रदान किए गए उन ठेकेदारों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया जिन्होंने कर के प्रशमन का विकल्प दिया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी वृत्त कार्यालयों में वा.क.आ. द्वारा 3,618 प्रशमन आवेदनों को स्थीकृत किया गया था, जिनमें से ₹ 3,402.49 करोड़ की ठेके राशि के 310 प्रशमन आवेदन निर्धारित समय के बाद 10 से 3,296 दिनों के विलंब से प्रस्तुत किये गये थे। विलम्ब का विवरण तालिका 3.3 में दर्शाया गया है।

²⁵ म.प्र. वैट नियमों के संदर्भ में, कर का प्रशमन एक प्रतिशत (राज्य के भीतर क्रय की गई सामग्री पर लागू) अन्यथा पाँच प्रतिशत की दर से लगाया जाएगा

तालिका 3.3

कर के प्रशमन की गलत स्वीकृति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवेदनों की संख्या (प्रशमन स्वीकृत किया गया)	निर्धारित समय के बाद प्रस्तुत प्रशमन आवेदनों की संख्या	विलम्ब का अंतराल (दिनों में)	विलम्ब का मध्यमान	ठेका कार्यों की राशि
2013–14	1,091	5	10 से 228	108	105.95
2014–15	1,272	213	10 से 3,112	425	2,567.35
2015–16	1,255	92	10 से 3,296	265	729.19
योग	3,618	310	10 से 3,296		3,402.49

इन प्रकरणों में, आवेदनों को अस्वीकृत करने के बजाय, व.क.आ. ने विलम्ब के कारणों को अभिलिखित किए बिना कर के प्रशमन के आवेदनों की विलम्बित प्रस्तुति को माफ कर दिया था। व.क.आ. ने इन निर्माण कार्य ठेकेदारों को प्रशमन सुविधा के अंतर्गत एकमुश्त कर का भुगतान करने की गलत रूप से अनुमति दी और विवरणियाँ व लेखों की प्रस्तुति के दायित्व एवं कर निर्धारण से छूट प्रदान की। हालांकि, वे म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत कर निर्धारण किए जाने के लिए बाध्य थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में, विभाग लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमत हुआ।

3.6.14 कर के प्रशमन की अस्वीकार्य अनुमति

कुल दो सौ अद्वासी ठेकेदारों ने कर के प्रशमन के अपने त्रैमासिक विवरण पत्र 877 दिनों तक के विलम्ब से प्रस्तुत किये, 646 ठेकेदारों ने ₹ 163.29 करोड़ राशि के प्रशमन के कर जमा नहीं किए और 698 ठेकेदारों ने ₹ 38.78 करोड़ की राशि के कर विलम्बित रूप से जमा किए थे।

3.6.14.1 त्रैमासिक विवरणों की विलम्बित प्रस्तुति

लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया और सभी वृत्त कार्यालयों में पाया कि प्रशमन सुविधा का विकल्प देने वाले 402 में से 288 ठेकेदारों ने प्रपत्र 4—बी में निर्धारित समय से 877 दिनों तक के विलम्ब से त्रैमासिक विवरण पत्र प्रस्तुत किये थे। विवरण तालिका 3.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.4

त्रैमासिक विवरणों की विलम्बित प्रस्तुति

वर्ष	डीलर की संख्या जिन्होंने त्रैमासिक विवरण पत्र प्रस्तुत किए	डीलर की संख्या जिन्होंने नियत समय के बाद त्रैमासिक विवरण पत्र प्रस्तुत किए	विलम्ब की सीमा दिनों में
2013–14	54	46	01 से 877
2014–15	150	131	01 से 807
2015–16	198	111	01 से 601
योग	402	288	

विभाग ने ऐसे ठेकेदारों की प्रशमन सुविधा की अनुमति निरस्त नहीं की और म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत उनके प्रकरणों का निर्धारण नहीं किया।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर, 2017) में, विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि इन सभी प्रकरणों को पुनः खोला जाएगा और उचित लेखापरीक्षा को अवगत करवाते हुये कार्यवाही की जावेगी।

3.6.14.2 कर के प्रशमन का जमा नहीं किया जाना

सभी वृत्तों से संबंधित अभिलेखों के लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि इसका कोई साक्ष्य नहीं था कि वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान तालिका 3.5 में दर्शाये अनुसार ₹ 4,535.40 करोड़ की ठेका राशि के लिए प्रशमन सुविधा प्राप्त 646 निर्माण कार्य ठेकेदारों ने वास्तव में ₹ 163.29 करोड़ के प्रशमन कर की राशि का भुगतान किया था।

तालिका 3.5
कर का प्रशमन जमा नहीं किया गया
(₹ करोड़ में)

वर्ष	निर्माण कार्य ठेकेदारों की संख्या जहां भुगतान का कोई प्रमाण नहीं है	ठेका राशि	देय प्रशमन कर की राशि
2013–14	226	1,565.99	55.16
2014–15	106	287.66	8.72
2015–16	314	2,681.75	99.41
योग	646	4,535.40	163.29

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में, विभाग लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ सहमत हुआ और आश्वासन दिया कि इन सभी प्रकरणों को पुनः खोला जाएगा और लेखापरीक्षा को अवगत कराते हुए समुचित कार्यवाही की जावेगी।

3.6.14.3 कर के प्रशमन का विलम्बित जमा किया जाना

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि 941 ठेकेदारों ने 2013–14 और 2015–16 की अवधि के लिए ₹ 38.78 करोड़ की राशि के कर का प्रशमन 32 से 1,233 दिनों के विलम्ब से जमा किया था, जैसा कि तालिका 3.6 में दर्शाया गया है :

तालिका 3.6
कर के प्रशमन का विलम्ब से जमा किया जाना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर का प्रशमन जमा करने वाले ठेकेदारों की संख्या	जमा किए गए कर की राशि	ठेकेदारों की संख्या, जिन्होंने विलम्ब के साथ कर का प्रशमन जमा किया	विलम्बित जमा में अंतर्गत कर की राशि	दिनों में विलम्ब	विलम्ब का मध्यमान
2013–14	108	12.26	52	1.95	32 से 473	67
2014–15	369	52.82	213	16.25	32 से 765	78
2015–16	464	65.00	433	20.58	32 से 1,233	70
योग	941	130.08	698	38.78	32 से 1,233	

विभाग को म.प्र. वैट नियमों के नियम 8—ए के उप—नियम 8 के अंतर्गत प्रशमन सुविधा की अनुमति निरस्त करनी चाहिए थी और म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत इन प्रकरणों का निर्धारण किया जाना चाहिए था। तथापि, ऐसा नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में, विभाग लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ सहमत हुआ और आश्वासन दिया कि इन सभी प्रकरणों को पुनः खोला जाएगा और लेखापरीक्षा को अवगत करवाते हुए समुचित कार्रवाई की जावेगी।

3.6.15 कर के प्रशमन की गलत दर लागू करना

राज्य के बाहर से सामग्री क्रय करने वाले ठेकेदारों पर कर के प्रशमन की सही दर लागू करने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप शास्ति सहित ₹ 119.04 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि संभाग-II, इंदौर और वा.क.अधि.-6, भोपाल के दो प्रकरणों²⁶ में ठेकेदारों को एक प्रतिशत की दर से (राज्य के भीतर क्रय की गई सामग्री पर लागू) ₹ 86.21 लाख के कर के प्रशमन की अनुमति दी गई थी, हालांकि इन दो ठेकेदारों ने राज्य के बाहर से सामग्री खरीदी थी, जिसके लिए कर प्रशमन की दर पाँच प्रतिशत थी। इस प्रकार निर्धारण प्राधिकारी की सही दर लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.44 करोड़ की राशि के कर और ₹ 10.32 करोड़ की शास्ति का कम आरोपण हुआ। इसी प्रकार, लेखापरीक्षा ने सभी वृत्तों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया और पाया कि 218 ठेकेदारों को 2013–14 और 2015–16 के बीच की अवधि के लिए एक प्रतिशत की दर से ₹ 26.32 करोड़ के कर के प्रशमन की अनुमति दी गई थी। तथापि, इन ठेकेदारों ने राज्य के बाहर से सामग्री क्रय की थी जिन्हें निर्माण कार्य ठेके को हस्तांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार ये ठेकेदार ₹ 26.32 करोड़ के बजाय पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 131.60 करोड़ का कर चुकाने के लिए उत्तरदायी थे। निर्धारण प्राधिकारी ने प्रपत्र 4—बी और प्रपत्र 49 में उपलब्ध इस तथ्य की जाँच नहीं की कि ठेकेदारों ने राज्य के बाहर से सामग्री खरीदी थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 105.28 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ। इस प्रकार कम आरोपित कर की शास्ति सहित राशि ₹ 119.04 करोड़ (₹ 13.76 करोड़ + ₹ 105.28 करोड़) संगणित हुई।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में, विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि इन सभी प्रकरणों को पुनः खोला जाएगा और लेखापरीक्षा को अवगत करवाते हुए समुचित कार्रवाई की जावेगी।

3.6.16 कर के प्रशमन का कम आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारी ने चार प्रकरणों में त्रुटिपूर्वक प्रशमन सुविधा प्रदान की, पाँच प्रकरणों में कर की गलत दर लागू की और तीन प्रकरणों में निर्माण कार्य ठेकों के भुगतान विवरणों से प्रमाणित ठेका प्राप्तियों के विरुद्ध कम कर योग्य टर्नओवर निर्धारित किया। इसके परिणामस्वरूप शास्ति सहित ₹ 7.26 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

म.प्र. वैट अधिनियम निर्धारित करता है कि निर्माण कार्य ठेके निष्पादित करने वाले किसी भी पंजीकृत विक्रेता को उसके द्वारा निष्पादित किसी एक या अधिक निर्माण कार्य ठेकों के संबंध में प्रशमन सुविधा प्रदान की जा सकती है और धारा 18 (विवरणियाँ), धारा 20 (निर्धारण) और धारा 39 (अंकेक्षित लेखों) के प्रावधान इन विक्रेता पर लागू नहीं होंगे। ठेकेदार जिन्होंने इस सुविधा का चयन नहीं किया है, म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत कर निर्धारण के लिए बाध्य होंगे।

²⁶ मैसर्स हाईवे इंजीनियरिंग प्रा. लिमिटेड और मैसर्स पीएस कंस्ट्रक्शन

एक संभाग²⁷ और छह वृत्त कार्यालयों²⁸ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने चार प्रकरणों में प्रशमन सुविधा की गलत अनुमति दी, जहां निर्माण कार्य प्रशमन सुविधा के अंतर्गत समाहित नहीं थे, पाँच प्रकरणों में कर की गलत दर लागू की गई और ठेके के निर्माण ठेकों के भुगतान विवरण से प्रमाणित प्राप्तियों के विरुद्ध तीन प्रकरणों में कम कर योग्य टर्नओवर निर्धारित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.91 करोड़ की शास्ति और ₹ 3.35 करोड़ की राशि के कर का कम आरोपण हुआ।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में, विभाग लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ सहमत हुआ और आश्वासन दिया कि इन सभी प्रकरणों को पुनः खोला जाएगा एवं लेखापरीक्षा को अवगत करवाते हुए समुचित कार्रवाई की जावेगी।

अनुशंसा:

निर्धारित समय के बाद प्राप्त आवेदन अस्वीकार करने के लिए, विवरणों की प्रस्तुति के लिए ठेकेदारों को सतर्क करने एवं राज्य के बाहर से सामग्री क्रय करने वाले ठेकेदारों का पता लगाने और कर के प्रशमन की उच्च दर लागू करने के लिए विभाग वैटिस में एक स्वचालित प्रणाली विकसित कर सकता है।

बिल्डर्स पर कर का कम आरोपण

3.6.17 वैटिस का उपयोग किये बिना बिल्डरों का कर निर्धारण

विभाग ने (जनवरी 2012) अपने वृत्त कार्यालयों को निर्देश²⁹ दिया कि पंजीकरण, विवरणियाँ, कर निर्धारण इत्यादि से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को 1 फरवरी 2012 से अनिवार्य रूप से वैटिस मॉड्यूल के माध्यम से भेजा जावे।

लेखापरीक्षा ने सभी चयनित वृत्त कार्यालयों के अभिलेखों में पाया कि विभागीय निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना करते हुए कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2012–13 से 2014–15 के लिए बिल्डरों के सभी प्रकरणों का कर निर्धारण 2015–16 और 2016–17 के बीच धारा 9–बी के अंतर्गत वैटिस का उपयोग किए बिना किया गया था। इसके अलावा, कर निर्धारण आदेश वैटिस में अपलोड नहीं किए गए थे। आगे की जाँच के दौरान यह पाया गया कि नामांकित बिल्डरों के कर निर्धारण के लिए आवश्यक मॉड्यूल विभाग द्वारा वैटिस में विकसित नहीं किया गया था। इस प्रकार, वैटिस मॉड्यूल में बिल्डरों के कर निर्धारण से संबंधित ऑकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, विभाग कर निर्धारण की शुद्धता का पता लगाने के लिए ऑकड़ों (क्रय और विक्रय विवरण, विवरणियाँ इत्यादि) का उपयोग नहीं कर सका।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में, विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि यद्यपि विभाग में कम्प्यूटरीकरण कार्य पूरा हो गया है, लेकिन ये मुद्दे बने रहे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं सीधे तौर पर समस्या इसलिये उत्पन्न हुई कि विभाग बिल्डरों के कर निर्धारण के लिये वैटिस में माड्यूल विकसित करने में असफल रहा।

²⁷

उप.आयु.— भोपाल—1

²⁸

वा.क.अधि.— भोपाल—6, ग्वालियर—1, इंदौर—3, जबलपुर—2, झावुआ और रतलाम—1

²⁹

परिपत्र क्र. 83 / 2011–12 / 30 / पंद्रह / 120, इंदौर दिनांक 31 जनवरी 2012 द्वारा

3.6.18 विवरणियों के अभाव में टर्नओवर का गलत निर्धारण

एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश जारी करने से पूर्व अन्य विभाग से या वैटिस से आवश्यक जानकारी एकत्र करने में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की कमी के कारण, टर्नओवर का अवनिर्धारण किया गया था। इसके परिणामस्वरूप शास्ति सहित ₹ 3.08 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

म.प्र. वैट अधिनियम निर्धारित करता है कि यदि किसी विक्रेता ने अधिनियम में निर्धारित विवरणियाँ और विवरण पत्रक अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रस्तुत नहीं किया है और जारी किए गए नोटिस की किसी भी शर्त का पालन करने में असफल रहा है, तो ऐसे विक्रेताओं के प्रकरणों का कर निर्धारण कर प्राधिकारी द्वारा उसके सर्वोत्तम निर्णय से किया जाएगा। इसके अलावा, म.प्र. वैट नियम यह निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक पंजीकृत/नामांकित बिल्डर एक वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए प्रपत्र 10 बी में त्रैमासिक विवरण पत्र सक्षम वाणिज्यिक कर अधिकारी या इस संबंध में आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को उस तिमाही जिससे विवरण पत्र संबंधित है, की समाप्ति की दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा।

वा.क.अधि.-6, भोपाल के तीन³⁰ प्रकरणों में बिल्डरों ने कोई विवरणी जमा नहीं की थी और कर निर्धारण प्राधिकारी ने उनके सर्वोत्तम निर्णय से एकपक्षीय आधार पर प्रकरणों का निपटारा किया था। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने अपने कर निर्धारण आदेशों में बिल्डरों के कर की देयता निर्धारित करने के आधार को अभिलेखित नहीं किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि कर निर्धारण प्राधिकारी इन बिल्डरों के डेटा को पंजीयन विभाग में उपलब्ध संबंधित अभिलेखों एवं वैटिस डेटाबेस के साथ सत्यापित करने में विफल रहे थे, यद्यपि, बिल्डरों ने ₹ 11.57 करोड़ में भवन बेचे थे, कर निर्धारण प्राधिकारी ने उनका सकल टर्नओवर ₹ 1.26 करोड़ निर्धारित किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.19 करोड़³¹ के कर योग्य टर्नओवर पर कर आरोपण में विफलता हुई। इसी प्रकार, वा.क.अ.-3, इंदौर में भी बिल्डरों के सात प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारी ने प्रकरणों का एक पक्षीय कर निर्धारण किया, बिल्डरों ने 2014–15 की अवधि के दौरान ₹ 8.38 करोड़ की सामग्री खरीदी लेकिन कर निर्धारण अधिकारी ने उनके कर योग्य टर्नओवर पर कर को निरंक के रूप में निर्धारित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.22 करोड़ के करयोग्य टर्नओवर (सामग्री का मूल्य ₹ 8.38 करोड़ और सामग्री मूल्य पर 10 प्रतिशत लाभ जोड़कर) पर कर आरोपण में विफलता हुई।

इस प्रकार, एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश जारी करने से पूर्व पंजीयन विभाग और वैटिस डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी सत्यापित करने में कर निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 15.41 करोड़ (₹ 6.19 करोड़ + ₹ 9.22 करोड़) के टर्नओवर का अवनिर्धारण हुआ और (पाँच प्रतिशत की न्यूनतम दर पर) राशि ₹ 77.03 लाख के कर और ₹ 2.31 करोड़ की शास्ति का कम आरोपण हुआ।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर, 2017) में, विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया, और निर्देश जारी किए कि कर के एकपक्षीय निर्धारण से पूर्व कर निर्धारण प्राधिकारियों को संबंधित विभागों और स्थानीय निकायों और वैटिस डेटाबेस के साथ समन्वय करना चाहिए।

³⁰ अल्टीमेट कन्सट्रक्शन (81329000173), साई कन्सट्रक्शन (81459000257) और प्रधान होम्स (81419000164)

³¹ ₹ 10.31 करोड़ के सकल कारोबार का 60 प्रतिशत सामग्री मूल्य [₹ 11.57 करोड़ (-) ₹ 1.26 करोड़]

अनुशंसा:

विभाग को वैटिस में एक तंत्र को स्थापित करना चाहिए जिससे निर्धारण प्राधिकारी अनिवार्य रूप से अन्य सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों में संबंधित डेटाबेस और अभिलेखों के साथ अपने करदाता से संबंधित विवरणों को प्रतिसत्यापित करें।

3.6.19 निर्माण कार्य ठेकेदारों को गलत तरीके से बिल्डर्स माना गया

निर्धारण प्राधिकारी बिल्डर्स को निर्माण कार्य ठेकेदार मानने में विफ़ल रहे, जबकि बिल्डर्स ने अग्रिम लेकर संभावित खरीदारों के साथ अनुबंध किया था। जिसकी परिणामतः ₹ 34.77 करोड़ के कर और शास्ति का कम आरोपण हुआ।

म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 9—बी निर्धारित करती है कि प्रत्येक बिल्डर उसके द्वारा निर्मित और बेचे गए या किराए पर दिये भवन के पूँजी मूल्य पर पाँच प्रतिशत की दर से कर चुकाने के लिए बाध्य होगा। जहां कारोबार निर्माण कार्य ठेकों की प्रकृति में होते हैं, निर्माण कार्य ठेकेदारों के लिए लागू धारा 9 के अंतर्गत कर आरोपित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पाँच लाख रुपये और उससे अधिक मूल्य वाले ठेके करने वाले ठेकेदार स्वयं को विभाग के साथ पंजीकृत करायेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय³² के अनुसार यदि भवन को बिल्डर द्वारा भावी खरीदारों से अग्रिम लेकर अनुबंध करके निर्माण किया जाता है, तो ऐसे लेनदेन को निर्माण ठेकों के रूप में माना जाएगा और म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत करों का निर्धारण किया जाएगा। म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 20 (6) के अंतर्गत अपंजीकृत ठेकेदार निर्धारित कर पर दो गुना शास्ति भुगतान के लिए बाध्य होंगे और पहले से पंजीकृत ठेकेदारों के मामले में, वे म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 21(2) के अंतर्गत अवनिर्धारित कर की राशि से तीन गुना राशि की शास्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच वृत्त कार्यालयों³³ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा नमूना जाँच में पाया कि 36 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 9—बी के अंतर्गत ₹ 3.23 करोड़ की राशि का कर निर्धारण किया, यद्यपि, ऐसे बिल्डरों ने संभावित खरीदारों से अग्रिम लिए थे और धारा 9 के अंतर्गत कर चुकाने के लिए बाध्य थे। यह भी देखा गया कि भूमि मालिक, बिल्डर/डेवलपर और क्रेता के बीच आर्थिक प्रतिफल के लिए विकास कार्य के लिए ठेके/त्रिपक्षीय ठेके हुये थे। यह दर्शाता है कि लेनदेन को निर्माण कार्य ठेकों के रूप में माना जाना चाहिए था और कार्यों के निष्पादन में सम्मिलित सामग्रियों के मूल्य पर कर लगाया जाना था। ₹ 26.46 करोड़ की कर देयता के विरुद्ध ₹ 3.23 करोड़ के करों के निर्धारण के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 23.22 करोड़ की राशि के कर का कम आरोपण हुआ, अपितु करों के यथार्थपूर्ण निर्धारण में कर निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता भी इंगित हुई। यह ₹ 11.55 करोड़ की शास्ति के आरोपण योग्य है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर, 2017) में विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि इन सभी प्रकरणों को पुनः खोला जाएगा और लेखापरीक्षा को अवगत करवाते हुए समुचित कार्रवाई की जावेगी।

³² कर्नाटक राज्य बनाम मैसर्स लार्सन एंड टूटो लिमिटेड के मामले में 2013 की सिविल अपील संख्या 8672

³³ वा.क.अधि.— भोपाल-6, रवालियर-1, जबलपुर-2, रतलाम-1 और रीवा

अनुशंसा:

बिल्डर द्वारा किये जाने वाले निर्माण कार्य ठेके एवं अचल संपत्ति के हस्तांतरण के संयुक्त ठेके दोनों को निर्माण कार्य ठेका माना जाना सुनिश्चित करने के लिए, विभाग उपयुक्त प्रक्रियाएं बना सकता है।

आगत कर छूट (आई.टी.आर.) की अमान्य स्वीकृति

3.6.20 निर्माण कार्य ठेकेदारों को अमान्य आगत कर छूट प्रदान करना

ऐसे बिल्डरों को, जिन्हें अपंजीकृत निर्माण ठेकेदारों के रूप में माना जाना चाहिए था, और निर्माण कार्य ठेकेदारों को संबंधित विक्रेताओं द्वारा चुकाए गए कर की पुष्टि किए बिना अमान्य आगत कर छूट की अनुमति प्रदान करने से शास्ति सहित ₹ 36.67 करोड़ की राशि के कर का कम आरोपण हुआ।

म.प्र. वैट अधिनियम निर्धारित करता है कि आगत कर छूट की केवल तभी अनुमति दी जाएगी, जब एक पंजीकृत विक्रेता आगत कर के भुगतान के बाद किसी अन्य पंजीकृत विक्रेता से राज्य के भीतर कोई भी निर्दिष्ट सामग्री खरीदता है। साथ ही सामग्री के किसी भी क्रय पर आगत कर छूट की राशि सामग्री के ऐसे क्रय के संबंध में वास्तविक रूप से शासकीय कोषालय में जमा की गई कर की राशि से अधिक नहीं होगी। यदि कर निर्धारण करते समय आगत कर छूट की गलत अनुमति दी गई है और यह विक्रेता के कारण से है, तो अधिनियम की धारा 21 (2) के अंतर्गत निर्धारित कर की राशि के 3 से 3.5 गुना के बीच शास्ति आरोपित की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने संभाग-1, भोपाल और सात वृत्त कार्यालयों³⁴ के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि 20 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने नामांकित बिल्डरों को ₹ 2.76 करोड़ की राशि की आगत कर छूट की अनुमति दी थी। इस तरह के बिल्डरों ने संभावित खरीददारों से अग्रिम लिया था और धारा 9 के अंतर्गत कर चुकाने के लिए उत्तरदायी थे। यह भी देखा गया कि भूमि मालिक, बिल्डर/डेवलपर और क्रेता ठेकों के बीच आर्थिक प्रतिफल के लिए विकास कार्य अनुबंध/त्रिपक्षीय अनुबंध हुए थे। यह दर्शाता है कि लेनदेन को निर्माण कार्य ठेकों के रूप में माना जाना चाहिए था। साथ ही, चूंकि ये बिल्डर्स म.प्र. वैट अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थे, इसलिए इन बिल्डरों को नामांकित बिल्डरों के बजाय अपंजीकृत निर्माण कार्य ठेकेदारों के रूप में माना जाना चाहिए था। बिल्डरों के कर निर्धारण के दौरान उपर्युक्त तथ्यों को सत्यापित करने में कर निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.76 करोड़ की अमान्य आगत कर छूट प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त, 18 प्रकरणों में, निर्धारण अधिकारियों ने निर्माण कार्य ठेकेदारों को ₹ 22.63 करोड़ की आगत कर छूट प्रदान की जबकि संबंधित विक्रय डीलरों ने केवल ₹ 63.97 लाख का कर चुकाया था। अतः आगत कर की छूट को ₹ 63.97 लाख तक सीमित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 21.99 करोड़ की अमान्य आगत कर छूट प्रदान की।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा जाँच में ₹ 24.74 करोड़ के कर और ₹ 11.93 करोड़ की शास्ति का कम आरोपण होना पाया गया।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में, विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि इन सभी प्रकरणों को पुनः खोला जाएगा और लेखापरीक्षा को अवगत करवाते हुए समुचित कार्रवाई की जावेगी।

³⁴

वा.क.अधि.— भोपाल-6, ग्वालियर-1, जबलपुर-2, झाबुआ, रत्नाम-1, रीवा और सेंधवा

प्रवेश कर

3.6.21 प्रवेश कर का कम आरोपण

गिट्टी, मुरुम, सीमेंट, लोहा और स्टील, फर्नेस ऑयल, बिटुमिन इत्यादि जैसे सामग्रियों पर प्रवेश कर, या तो आरोपित नहीं किया गया था या गलत दरों पर आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप शास्ति सहित ₹ 5.47 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

मध्यप्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 1976 (प्र.क.अधिनियम) निर्धारित करता है कि जहां प्रवेश कर का अवनिर्धारण ठेकेदार के कारण हो वहाँ शास्ति की वह राशि जो निर्धारित कर के तीन गुने से कम न हो, आरोपित की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने दो संभागीय कार्यालयों³⁵ और नौ वृत्त कार्यालयों³⁶ की जाँच में पाया कि वर्ष 2012–13 से 2014–15 के लिए अप्रैल 2015 और मार्च 2017 के बीच निर्माण कार्य ठेकेदारों के कर निर्धारित किए गए 48 प्रकरणों में लेखों की पुस्तकों और वैधानिक प्रपत्रों³⁷ में प्रमाणित क्रय के विरुद्ध कर योग्य टर्नओवर के कम आंकलन, अपंजीकृत डीलरों के माध्यम से क्रय की गई कर योग्य सामग्री को गलत तरीके से कर भुगतान की गई सामग्री मानने से एवं गिट्टी, मुरुम, सीमेंट, लोहा और स्टील, फर्नेस ऑयल, बिटुमिन इत्यादि जैसी सामग्री पर कर की गलत दर लागू करने के कारण कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर योग्य टर्नओवर कम आंकलित कर कम कर का आरोपण किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ राशि के कर और ₹ 4.00 करोड़ की शास्ति का कम आरोपण हुआ।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर, 2017) में, विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त की और आश्वस्त किया कि इन सभी प्रकरणों को पुनः खोला जाएगा और लेखापरीक्षा को अवगत करवाते हुए समुचित कार्रवाई की जावेगी।

3.6.22 निष्कर्ष

- म.प्र. वैट अधिनियम में निर्माण कार्य ठेका को विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और निर्माण कार्य ठेकों के मामले में करयोग्य टर्नओवर निर्धारित करने के लिए विभाग द्वारा कोई विशिष्ट दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए थे। इससे ₹ 226.13 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।
- विभाग ने उन निर्माण कार्य ठेकेदारों के अंतर–विभागीय डेटाबेस के यह प्रतिसत्यापित के लिए कोई प्रणाली स्थापित नहीं की है, जिन्होंने एक वर्ष में पाँच लाख रुपये से अधिक राशि प्राप्त की थी और स्वयं को विभाग के साथ पंजीकृत नहीं किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 656 अपंजीकृत निर्माण कार्य ठेकेदार, जिन्होंने नगर निगमों से एक वर्ष में पाँच लाख रुपये से अधिक की राशि प्राप्त की थी, वे पंजीकृत नहीं थे और उनके द्वारा प्राप्त ₹ 456.99 करोड़ की ठेका प्राप्तियाँ कर निर्धारण से छूट गई थीं।
- ठेके की प्राप्तियों से मुख्य ठेकेदार को कटौती प्रदान करते समय, मुख्य ठेकेदारों के कर निर्धारण प्राधिकारियों ने उप–ठेकेदारों के निर्धारण प्राधिकारियों से प्रतिसत्यापन नहीं की थी कि उप–ठेकेदारों ने इन कटौती पर कर चुकाया है या नहीं। परिणामस्वरूप न तो मुख्य ठेकेदारों ने और न ही उप–ठेकेदारों ने अपने कर योग्य टर्नओवर में ₹ 171.82 करोड़ की अनुबंध प्राप्तियों को सम्मिलित किया।

³⁵ उप.आयु.— भोपाल–1 और इंदौर–2

³⁶ वा.क.अधि.— बालाघाट, भोपाल–6, छतरपुर, ग्वालियर–1, जबलपुर–2, झावुआ, रतलाम–1, रीवा और सेंधवा
³⁷ डीलर्स ने राज्य के बाहर से सामग्री क्रय के लिए प्रपत्र–49 और प्रपत्र–सी का उपयोग किया था

- विभाग ने कर के प्रशमन की अनुमति को निरस्त नहीं किया जहां निर्माण कार्य ठेकेदारों ने म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 11—ए के अंतर्गत प्रतिबंधों और शर्तों का उल्लंघन किया था।
- विभाग ने उन बिल्डरों को निर्माण कार्य ठेकेदारों के रूप में मानने के संबंध में निर्देश जारी नहीं किए, जिन प्रकरणों में बिल्डर्स संभावित क्रेताओं के साथ अनुबंध करते हैं और निर्माण कार्य के लिए अग्रिम लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 34.77 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

अनुपालन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

3.7 टर्नओवर का त्रुटिपूर्ण निर्धारण

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 48.95 करोड़ के कर योग्य टर्नओवर का कम निर्धारण करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.98 करोड़ कर, ₹ 18.13 लाख ब्याज एवं ₹ 5.41 करोड़ शास्ति का आरोपण नहीं होना।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम में यह प्रावधान है कि कम कर के निर्धारण के लिए यदि करदाता उत्तरदायी है तो निर्धारित किये गये कर के 3 से 3.5 गुना के मध्य शास्ति आरोपित की जा सकती है।

पाँच संभागीय कार्यालयों³⁸, 10 क्षेत्रीय कार्यालयों³⁹ और 33 वृत्त कार्यालयों⁴⁰ के 2011–12 और 2013–14 के अवधि के 94 प्रकरणों, जिनका कर निर्धारण नवम्बर 2014 और जुलाई 2016 के मध्य किया गया था, के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 48.95 कारोड़ के कम टर्नओवर निर्धारित किये गये थे जिनमें विक्रय मूल्य, लाभ एवं अन्य प्राप्ति को लेखे में नहीं/कम दर्शाने के 55 प्रकरण, अंकेक्षित लेखे के आँकड़ों को नहीं लेने के 10 प्रकरण एवं वेट तथा उत्पाद शुल्क की निम्न दरों को अपनाने के 13 प्रकरण थे। 15 प्रकरणों में कम कटौती की गई थी जबकि एक प्रकरण में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारी के विचारों को मान्य नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप ₹ 18.13 लाख ब्याज और ₹ 5.41 करोड़ शास्ति सहित कुल ₹ 9.57 करोड़ के कर का आरोपण नहीं किया गया।

विभाग ने नवम्बर 2017 में बताया कि प्रकरणों का पुनः कर निर्धारण प्रगति पर है। अन्तिम वसूली और की गई कार्यवाही की निगरानी लेखापरीक्षा में की जाएगी।

2011–12 से 2015–16 तक के पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी समान प्रकृति की आपत्तियाँ इंगित की गई थी, लेकिन विभाग ने ऐसे पुनरावृत्ति की प्रकृति वाली आपत्तियों को रोकने के लिये कोई प्रभावी तंत्र विकसित नहीं किया। “मध्यप्रदेश में वैट के अंतर्गत कर निर्धारण की प्रणाली” के निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु किये गये निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2015) के दौरान प्रमुख सचिव ने विभाग को निश्चित समयावधि में अनियमितताओं के समाधान, आन्तरिक जाँच व्यवस्था में सुधार और कर निर्धारण व्यवस्था को मजबूत करने के लिये वेटिस में आवश्यक माड्यूल को सम्मिलित करने के

³⁸ उप.आयु.— छिन्दवाडा, ग्वालियर (कर लेप. शाखा), इन्दौर (एल.टी.पी.यू.), इन्दौर-1 (कर लेप. शाखा) और रतलाम

³⁹ सहा.आयु.— भोपाल-3, छिन्दवाडा, ग्वालियर-1, इन्दौर-2, जबलपुर-2, कटनी-1, खण्डवा, नीमच, पीथमपुर (धार) और रीवा

⁴⁰ वा.क.अधि.— अनूपपुर, बालाघाट, बैतूल, भोपाल-1, भोपाल-4, भोपाल-5, छिन्दवाडा-1, दमोह, देवास, ग्वालियर-2, ग्वालियर-3, ग्वालियर-4, हरदा-1, इन्दौर-1, इन्दौर-2, इन्दौर-3 इन्दौर-8, इन्दौर 10, इन्दौर-11, इन्दौर-12, इन्दौर-14, इन्दौर-15, इटारसी, जबलपुर-1, कटनी-2, खरगोन, मण्डीदीप, मण्डला, नीमच, सागर, शहडोल, टीकमगढ़ और उज्जैन-2

लिये निर्देशित किया था। यद्यपि, विभाग ने ऐसे स्थाई अनियमितताओं को रोकने के लिये प्रभावी तंत्र का विकास नहीं किया।

अनुशंसा :

विभाग के लिये यह आवश्यक है कि कर निर्धारण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करने हेतु वैटिस में आवश्यक माड्यूल्स को सम्मिलित करे और अन्य उपाय प्रारम्भ करे।

3.8 अस्वीकार योग्य आगत कर की छूट को लागू करना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने लागू किये जाने योग्य ₹ 117.06 करोड़ के आगत कर छूट के स्थान पर ₹ 120.97 करोड़ का आगत कर छूट लागू किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.50 करोड़ शास्ति सहित ₹ 9.41 करोड़ कर की कम वसूली हुई।

म.प्र. वैट अधिनियम के अंतर्गत जब एक पंजीकृत व्यवसायी किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी से कुछ विशिष्ट सामग्रियों को क्रय करता है व उसके लिए आगत कर चुकाता है तो उसे आगत कर छूट की पात्रता होगी बशर्ते यह आगत कर छूट वास्तव में भुगतान किये गये आगत कर छूट से अधिक नहीं होगी। यदि आगत कर छूट त्रुटिपूर्वक लागू की जाती है और इसके लिए व्यापारी उत्तरदायी है, तो शास्ति भी आरोपणीय होगी।

सात संभागीय कार्यालयों⁴¹, 11 क्षेत्रीय कार्यालयों⁴² और 25 वृत्त कार्यालयों⁴³ के 2010–11 से 2013–14 के मध्य के 92 प्रकरणों, जिनका कर निर्धारण अप्रैल 2014 और दिसम्बर 2016 के मध्य किया गया था, के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने क्रय सूचियों एवं अंकेक्षित लेखे पर विचार किये बिना व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के आधार पर अधिक आगत कर मान्य किया। 32 प्रकरणों में व्यापारियों द्वारा भुगतान किये गये आगत कर छूट से अधिक छूट की माँग अपने विवरणियों में की गई और 31 प्रकरणों में आगतकर छूट स्वीकार किया गया जबकि वह स्वीकार योग्य नहीं था। अन्य प्रकरणों में या तो कर मुक्त मालों पर आगत कर छूट दी गई या आगतकर की दोहरी छूट दी गई। परिणामस्वरूप स्वीकार नहीं करने योग्य आगत कर छूट ₹ 3.91 करोड़ और शास्ति ₹ 5.50 करोड़ का वसूली किया जानाशेष है।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में, विभाग ने सूचित किया कि प्रकरणों का पुनः कर निर्धारण प्रगति पर था। प्रगति की निगरानी लेखापरीक्षा में की जायेगी।

समान प्रकृति की आपत्तियाँ पूर्व में वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित की गई थीं। लेखापरीक्षा ने, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014–15 में सम्मिलित “मध्यप्रदेश में वैट कर के अंतर्गत निर्धारण व्यवस्था” विषय पर की गई अनुपालन लेखापरीक्षा में अपनी अनुशंसा में कहा था कि आगतकर छूट दावे को स्वीकार करने के पूर्व क्रय विवरण उचित रूप से प्रमाणित, अभिलेखों द्वारा समर्थित एवं अंकेक्षित लेखे से पुष्टिकृत होने चाहिये। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में ली गई आपत्तियों पर चर्चा हेतु अक्टूबर 2015 में आयोजित निर्गम सम्मेलन में, विभाग ने सूचित किया था कि 2013–14 के पश्चात सभी आगत कर छूट प्रकरणों का इलेक्ट्रानिक रूप से मिलान

⁴¹ उप.आयु.—भोपाल—2, ग्वालियर (कर ले.प. शाखा), इन्दौर—1, इन्दौर—1 (कर ले.प. शाखा), खण्डवा, रत्लाम और उज्जैन।

⁴² सहा.आयु.— भोपाल—1, भोपाल—3, ग्वालियर—2, इन्दौर—1, इन्दौर—2, इन्दौर—3, खण्डवा, पीथमपुर (धार), रत्लाम, रीवा और सागर—2

⁴³ वा.क.अधि.— अनुपपुर, बैतूल, भोपाल—1, छतरपुर, छिन्दवाडा—1, छिन्दवाडा—2, दमोह, देवास, गुना, ग्वालियर—2, ग्वालियर—3, ग्वालियर—4, हरदा—1, इन्दौर—1, इन्दौर—2, इन्दौर—3, इन्दौर—7, इन्दौर—11, इन्दौर—12, इन्दौर—14, इन्दौर 15, जबलपुर 3, जौरा (रत्लाम) खरगौन और मण्डला

किया जा रहा था और आगत कर छूट के सत्यापन हेतु एक विशेष सैल भी स्थापित किया गया था। हालांकि, स्वीकार नहीं किये जाने योग्य आगत कर छूट के प्रकरणों को लेखापरीक्षा में निरन्तर इंगित किया गया। विभाग में सही आगत कर छूट के दावे/भुगतान की निगरानी हेतु तंत्र के अस्तित्व में होने के बाद भी आगत कर छूट के दावों के लिये अन्तर्विभागीय ऑकड़ों/सूचनाओं को संज्ञान में नहीं लिया गया था।

अनुशंसा:

विभाग आगत कर की छूट के सत्यापन तंत्र को मजबूत करने पर विचार कर सकता है जिससे क्रय विवरण अंकेक्षित लेखे से सत्यापित, समुचित रूप से अभिलेखों द्वारा प्रमाणित/समर्थित हों और संबंधित विक्रय व्यवसायी के द्वारा प्रस्तुत विवरणों से उनका मिलान हो सके।

3.9 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण किया जाना

स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर या तो प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया गया या त्रुटिपूर्ण दर से आरोपण किया गया, परिणामस्वरूप प्रवेश कर, ₹ 2.04 करोड़, शास्ति ₹ 2.15 करोड़ और ₹ 10.23 लाख ब्याज की वसूली नहीं हुई।

प्रवेशकर अधिनियम में प्रावधान है कि यदि व्यापारी पर देय प्रवेश कर का कम आरोपण किया गया है तो निर्धारित किये गये कर के ऊपर कम से कम तीन गुना शास्ति लगाने का प्रावधान है।

चार संभागीय कार्यालयों⁴⁴, नौ क्षेत्रीय कार्यालयों⁴⁵ और 19 वृत्त कार्यालयों⁴⁶ के 2012–13 से 2013–14 तक की अवधि के 62 प्रकरणों जिनका कर निर्धारण/पुनः कर निर्धारण अप्रैल 2015 और जनवरी 2016 के मध्य किया गया था, की लेखापरीक्षा नमूना जाँच में पाया गया कि माल जैसे मशीनरी, मोटर साईकल, ऑटो पार्ट्स, तेल, अस्त्र एवं शस्त्र, सोयाबीन, एचडीपीई फैब्रिक्स, कोयला आदि के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर या तो प्रवेशकर का आरोपण नहीं किया गया या त्रुटिपूर्ण दर से आरोपण हुआ था।

इन 62 प्रकरणों में से, 32 प्रकरणों में प्रवेश कर, लगाये जाने वाले दर की तुलना में निम्न दर से कर आरोपित किया गया; 14 प्रकरणों में, आरोपणीय प्रवेश कर को आरोपित नहीं किया गया, छह प्रकरणों में जिस माल पर प्रवेश कर आरोपणीय था को कर योग्य सकल विक्रय में सम्मिलित नहीं किया गया, और अन्य प्रकरणों में साक्ष्य के बिना त्रुटिपूर्ण छूट या कमी को मान्य किया गया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 2.15 करोड़ शास्ति एवं ₹ 10.23 लाख ब्याज सहित ₹ 4.29 करोड़ के प्रवेश कर की वसूली नहीं हुई।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में, विभाग ने सूचित किया कि प्रकरणों का पुनः कर निर्धारण प्रगति पर है। अन्तिम कार्यवाही लेखापरीक्षा में (मई 2018) अपेक्षित थी।

समान आपत्तियों को पूर्व में भी वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया था, लेकिन कर निर्धारण प्राधिकारियों के अधिनियम/अनुसूचियों में स्पष्ट प्रावधानों/कर दरों की उपेक्षा से समान त्रुटियां निरन्तर जारी थीं जो स्पष्टतः कमजोर आन्तरिक नियंत्रण को दर्शाता है।

⁴⁴ उप.आयु.—इन्दौर (एल.टी.पी.यू.), भोपाल—2, खण्डवा और रत्लाम

⁴⁵ सहा.आयु.— भोपाल—1, भोपाल—3, ग्वालियर—2, ग्वालियर (कर ले.प. शाखा), इन्दौर—3, खण्डवा, नीमच, पीथमपुर (धार) और रीवा

⁴⁶ वा.क.अधि.— अनुपपुर, भोपाल—5, छिन्दवाडा—1, छिन्दवाडा—2, दमोह, देवास, ग्वालियर—3, इन्दौर—1, इन्दौर—2, इन्दौर—7, इन्दौर—8, इन्दौर—11, इन्दौर—12, इन्दौर—14, जबलपुर—1, जबलपुर—3, कटनी—2, मण्डीदीप और सागर

अनुशंसा:

विभाग यह सुनिश्चित करे कि कर योग्य कुल बिक्री से क्रय भुगतान प्रवेश कर के कटौत्रे के लिए दावों का उचित रूप से अभिलेखों द्वारा प्रमाणित और सकल क्रय व्यवसायी के अंकेक्षित लेखों से मिलान हो।

3.10 कर की गलत दर लागू करना

कर निर्धारण प्राधिकारियों के सही दर से कर लागू करने में असफल होने के परिणामस्वरूप ₹ 2.44 करोड़ शास्ति सहित ₹ 3.98 करोड़ कर का कम आरोपण किया गया।

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के अनुसार, प्लाण्ट एवं मशीनरी, स्क्रैप पैकिंग सामग्री, इमल्शन, ट्रैक्टर एसेसरीज आदि 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं।

एक संभागीय कार्यालय⁴⁷, एक क्षेत्रीय कार्यालय⁴⁸ और आठ वृत्त कार्यालयों⁴⁹ के 2010–11 से 2013–14 के मध्य अवधि के 17 व्यवसायियों के 20 प्रकरणों जिनका कर निर्धारण सितम्बर 2013 और जनवरी 2016 के मध्य किया गया था के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ट्रैक्टर एसेसरीज, सेनेट्रीज माल, फर्नीचर, किचन पेनलों, धातु के क्रैश बेरीयर सिस्टम और मशीनरी पार्ट्स के विक्रय पर 5 प्रतिशत या 4 प्रतिशत दर से कर अरोपित किया गया जो 13 प्रतिशत की दर से कर योग्य थे। इसके परिणामस्वरूप उन पर ₹ 1.54 करोड़ कर और ₹ 2.44 करोड़ शास्ति का कम निरूपण किया गया।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों पर सहमति देते हुए सूचित किया कि प्रकरणों का पुनः कर निर्धारण प्रगति पर था। अन्तिम कार्यवाही लेखापरीक्षा में (मई 2018) प्रतीक्षित थी।

समान प्रकृति की आपत्तियों को पूर्व में वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था और विभाग ने भी स्वीकार (अक्टूबर 2015) किया था कि सामग्रियों के कर दर पर मत भिन्नता एवं सुसंगत वस्तुओं के विवरण संबंधी शब्दावली (एच.एस.एन.) कोड⁵⁰ के अभाव के कारण इस प्रकार के गलती की संभावना थी। लोक लेखा समिति ने समान प्रकृति की अनियमितताओं के इंगित किये जाने पर अनुशंसा की थी (2015–16) कि विभाग कर के ब्याज सहित वसूली करने के साथ–साथ ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से भी बचे। लोक लेखा समिति ने स्वीकार किये गये प्रकरणों के संबंध में उचित कार्यवाही नहीं करने के लिये विभागीय अधिकारियों को उत्तरदायी माना था।

विभाग ने एच.एस.एन. कोड को नहीं अपनाया था तथा ऐसा कोई निगरानी तंत्र नहीं था जिससे कर निर्धारण अधिकारियों को नियम, नियमावली एवं विभागीय आदेशों के कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने तथा कर की उचित दर लगाने की बाध्यता हो।

अनुशंसा:

विभाग को शीघ्रता से एच.एस.एन. कोड को ग्रहण करना चाहिये और ऐसे उपाय आरम्भ करने के लिए लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं/निर्देशों को लागू करना चाहिए जिससे इन अनियमितताओं की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकना सुनिश्चित किया जा सके।

⁴⁷ उप.आयु.—उज्जैन

⁴⁸ सहा.आयु.—जबलपुर—2

⁴⁹ वा.क.अधि.—भोपाल—1, भोपाल—5, छिन्दवाडा—1, छिन्दवाडा—2, ग्वालियर—4, हरदा—1, खरगोन और कटनी—2

⁵⁰ एच.एस.एन. सामग्रियों के विवरण एवं कोडिंग की अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्य व्यवस्था है

3.11 केन्द्रीय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का कम आरोपण/अनियमित छूट मान्य किया जाना

अन्तर्राज्यीय विक्रय के प्रावधानों को लागू करने में कर निर्धारण प्राधिकारियों के असफल होने के फलस्वरूप ₹ 2.52 करोड़ के कर और ₹ 4.45 लाख के शास्ति की कम वसूली हुई।

केन्द्रीय विक्रय कर (सी.एस.टी.) अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि व्यापारी अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर (वह दो प्रतिशत के दर से कर भुगतान के लिये पात्र है) का दावा करता है परन्तु क्रय करने वाले व्यापारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र 'ग' में आवश्यक घोषणा प्रस्तुत करने में असफल होता है, तो वह संबंधित राज्य के अन्दर ऐसे माल के क्रय या विक्रय पर लगने वाले कर के दर से कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, और इसके अतिरिक्त, ऐसे निर्धारित कर की तीन गुना शास्ति का भुगतान करेगा।

दो संभागीय कार्यालयों⁵¹, पाँच वृत्त कार्यालयों⁵² और सहायक आयुक्त, नीमच कार्यालय के कर निर्धारण वर्ष 2012–13 और 2014–15 के लिये नौ व्यापारियों के नौ प्रकरणों, जिनका कर निर्धारण अप्रैल 2015 और दिसम्बर 2015 के मध्य किया गया था के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2016 और फरवरी 2017 के मध्य) में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने अन्तर्राज्यीय विक्रय अधिनियम के अंतर्गत गलत छूट मान्य किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रपत्र 'ग' में बिना घोषणा के समर्थित अन्तर्राज्यीय विक्रय पर त्रुटिपूर्णरूप से निम्न दर से कर मान्य किया था। कर निर्धारण प्राधिकारियों ने तीन प्रकरणों में दो प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जबकि पाँच प्रतिशत से कर आरोपणीय था और चार प्रकरणों में दो प्रतिशत दर से कर आरोपित किया जबकि 13 प्रतिशत दर से कर आरोपणीय था। एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने अन्तर्राज्यीय विक्रय जो प्रपत्र 'ग' से समर्थित नहीं था को सकल विक्रय में सम्मिलित नहीं किया। पुनः एक प्रकरण जिसमें गणना की त्रुटि थी (दो प्रतिशत केन्द्रीय विक्रय कर से आरोपणीय था, यद्यपि 0.2 प्रतिशत से कम से निरूपित किया गया)। परिणामस्वरूप ₹ 2.52 करोड़ के कम कर की वसूली हुई और ₹ 4.45 लाख की शास्ति नहीं लगाई गई।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि पुनः कर निर्धारण किया जायेगा। अन्तिम कार्यवाही (मई 2018) प्रतीक्षित थी।

समान प्रकृति की आपत्तियों को पूर्व में वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया था कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों, की उपेक्षा करने से उचित दर से कर लगाने में त्रुटि हुई।

3.12 गलत कटौती प्रदान करना

कर निर्धारण प्राधिकारियों के द्वारा गलत कटौती की अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹ 72.80 लाख शास्ति सहित ₹ 1.92 करोड़ के कम आरोपण हुआ था।

म.प्र. वैट अधिनियम में कर योग्य विक्रय राशि को निकालने के लिये सूत्र का प्रावधान है और कहा गया है कि सूत्र के आधार पर कोई कटौती नहीं दी जायेगी, यदि

⁵¹ उप.आयु.—इन्डौर—3 और रत्नाम

⁵² वा.क.अधि.— भोपाल—4, भोपाल—5, छिन्दवाडा—1, इन्दौर—2 और इन्दौर—7

पंजीकृत व्यापारी द्वारा संग्रहित कर की राशि या तो विक्रय मूल्य में सम्मिलित ही नहीं है अथवा विक्रय मूल्य में से अन्यथा काटी जा चुकी हैं। छह माह के बाद का विक्रय वापसी स्वीकार्य नहीं है। पुनः, समव्यवहार निर्धारित घोषणा प्रपत्रों से समर्थित नहीं होने पर छूट मान्य नहीं है।

दो क्षेत्रीय कार्यालयों⁵³ और 10 वृत्त कार्यालयों⁵⁴ के जुलाई 2014 और जनवरी 2016 के मध्य कर निर्धारित 2011–12 तथा 2013–14 से संबंधित 12 व्यवसायियों के 19 प्रकरणों के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने निम्नानुसार गलत कटौती को मान्य किया था: 10 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने सकल विक्रय में से कर की राशि की कटौती को मान्य किया था यद्यपि वह इसमें सम्मिलित नहीं थी। दो प्रकरणों में सकल विक्रय में से भाड़े की राशि की गलत कटौती को मान्य किया गया था और शेष सात प्रकरणों में छह माह से अधिक के विक्रय वापसियों, छूट एवं घोषणा प्रपत्र के बिना समर्थित अन्तर्राज्यीय विक्रयों की गलत कटौती प्रदान की गई थी। इन गलत कटौतियों को मान्य करने के परिणामस्वरूप ₹ 72.80 लाख की शास्ति सहित ₹ 1.92 करोड़ के कम कर का आरोपण किया गया।

समान प्रकृति की आपत्तियों को पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2011–12 से 2015–16 में भी इंगित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों एवं विभाग के निर्देशों के बावजूद कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण प्रकरणों के निराकरण में समान व्यवहार को नहीं अपनाया था। जबकि कर योग्य टर्नओवर के निर्धारण में कटौतियों को मनमाने रूप से मान्य किया था तथा कुछ प्रकरणों में विभाग के पास उपलब्ध ऑकड़ों/सूचनाओं को भी संज्ञान में नहीं लिया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि पुनः कर निर्धारण किया जायेगा। अन्तिम कार्यवाही (मई 2018) प्रतीक्षित थी।

3.13 विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन अधिनियम के अन्तर्गत कर का अनारोपण/कम आरोपण

कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा विलासिता कर के सात प्रकरणों में, मनोरंजन कर के एक प्रकरण में और विज्ञापन कर के एक प्रकरण में, कम कर निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 37.75 लाख के कर और ₹ 1.13 करोड़ के शास्ति का कम आरोपण किया था।

मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन अधिनियम (म.प्र.ए.ल.ई.ए.टी. अधिनियम), 2011 के संबंध में विलासिता, मनोरंजन एवं विज्ञापन पर कर आरोपणीय है।

तीन वृत्त कार्यालयों⁵⁵ के 2012–13 एवं 2013–14 तक की अवधि के अभिलेखों के नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने नौ प्रकरणों में निम्नानुसार कम कर निर्धारित किया। पाँच प्रकरणों में शादी/बैंकवेट हॉल से संबंधित कमरों के लिए प्राप्त किराये, और दो प्रकरणों में होटल सुविधाओं एवं बैंकवेट विक्रय को सकल विक्रय में सम्मिलित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 32.93 लाख का कम विलासिता कर आरोपित किया गया। एक प्रकरण में विज्ञापन से आय को सकल विक्रय में सम्मिलित नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.54 लाख कम कर लगाया गया। एक प्रकरण में व्यवसायी पर अतिथि शुल्क पर 10 प्रतिशत मनोरंजन कर मान्य किया गया, जो केवल नियमित सदस्यों को मान्य योग्य है, परिणामस्वरूप ₹ 2.29 लाख का कम

⁵³ सहा.आयु.— भोपाल-3 और कटनी-1

⁵⁴ वा.क.अधि.— भोपाल-1, भोपाल-5, बीना, दमोह, देवास, ग्वालियर-3, हरदा-1, इन्दौर-7, इन्दौर-11 और मण्डला

⁵⁵ वा.क.अधि.— इन्दौर, जबलपुर और ग्वालियर (आमोद विलास)

कर आरोपित किया गया। अतः ₹ 1.13 करोड़ की शास्ति सहित कुल राशि ₹ 1.51 करोड़ के कर का कम आरोपण किया गया।

विभाग ने कर निर्धारण प्रकरणों के निराकरण में समान व्यवहार का पालन नहीं किया। स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवहार से संबंधित राशियों को विवादास्पद रूप से मान्य या अमान्य किया।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) में विभाग ने सूचित किया कि पुनरीक्षित कर निर्धारण किया जायेगा। अन्तिम कार्यवाही (मई 2018) अपेक्षित थी।